

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक) बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक- 16/2/26

विषय- पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की योजनाओं को कार्यान्वित किए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल ₹ 17,91,18,536/- (सतरह करोड़ इक्यानवे लाख अठारह हजार पाँच सौ छत्तीस रूपए) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत।

कार्यपालक अभियंताओं द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित ऑनलाईन अधियाचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की योजनाओं को कार्यान्वित किए जाने हेतु निम्न विवरणीनुसार कुल ₹ 17,91,18,536/- (सतरह करोड़ इक्यानवे लाख अठारह हजार पाँच सौ छत्तीस रूपए) मात्र का व्यय की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदान की जाती है:-

क्रमांक	प्रमंडल का नाम	अधियाचना आई०डी०	योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या / दिनांक	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए व्यय हेतु स्वीकृत राशि
1.	भवन प्रमंडल, शिवहर	29672	शिवहर जिला में 520 आसन वाले एक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय के भवन का निर्माण कार्य	92 / 09.08.23	₹3,74,73,947/- (तीन करोड़ चौहत्तर लाख तिहत्तर हजार नौ सौ सैंतालीस रूपये)
2.	भवन प्रमंडल, मोतिहारी	29504	पूर्वी चम्पारण जिला में 520 आसन वाले एक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय के भवन का निर्माण कार्य	76 / 27.09.22	₹3,85,00,712/- (तीन करोड़ पचासी लाख सात सौ बारह रूपये)
3.	भवन प्रमंडल, आरा	29497	भोजपुर जिला के धनुपरा में 520 आसन वाले एक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय के भवन का निर्माण कार्य	76 / 27.09.22	₹9,31,89,421/- (नौ करोड़ इक्कीस लाख नवासी हजार चार सौ इक्कीस रूपये)
4.	भवन प्रमंडल, औरंगाबाद	29693	औरंगाबाद जिला अंतर्गत 100 आसन वाले अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास का निर्माण कार्य	18 / 21.02.23	₹99,54,456/- (निन्यानवे लाख चौवन हजार चार सौ छप्पन रूपये)
योग:-					₹17,91,18,536 /-

(सतरह करोड़ इक्यानवे लाख अठारह हजार पाँच सौ छत्तीस रूपये)

- उक्त कार्य पर राशि का व्यय मांग संख्या-03 के अन्तर्गत मुख्यशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-उपमुख्यशीर्ष-80-सामान्य-लघु शीर्ष-051-निर्माण-उपशीर्ष-0118-पिछड़े वर्गों के आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास निर्माण कार्य कोड-03-4059800510118 के विषयशीर्ष-53-मुख्य निर्माण कार्य-0118.53.01 मुख्य निर्माण कार्य में उपबंधित राशि से वित्तीय वर्ष 2025-26 में किया जायेगा।
- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग होंगे।
- इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी।

5. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
6. स्वीकृत राशि के विरुद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से की जा रही है।

(राजेश कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक- 1628 (1)

पटना, दिनांक-

16/2/16

प्रतिलिपि-सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

पटना, दिनांक-

16/2/16

ज्ञापांक- 1628 (1)

प्रतिलिपि-अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख/संबंधित मुख्य अभियंता/निदेशक अनुश्रवण/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/संबंधित अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग/संबंधित कार्यपालक अभियंता/सी.एफ.एम.एस. एप्रूवर एवं आई० टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड एवं सभी संबंधित को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।